लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462 021

क्र0 / पी.ए. / संचालक(प्रशा.) / 2018 / 91 भोपाल,दिनांक 11 / 12 / 2018

प्रति,

1– समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
संभाग–मध्यप्रदेश।

2– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– डाक प्रेषण के संबंध में।

विगत कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न संभाग / जिला तथा विकासखण्ड में पदस्थ अधिकारी डाक लेकर आयुक्त, लोक शिक्षण / संचालक, लोक शिक्षण के कार्यालय में उपस्थित होते है। परीक्षण किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारियों के माध्यम से डाक प्रेषित किये जाने की कार्यवाही महज इन अधिकारियों की सुविधा के हिसाब से की जा रही है, तथा बहुधा इनका उपयोग भोपाल में निवासरत परिवार अथवा प्रतिदिन भोपाल से अपने कार्य क्षैत्र में आने–जाने करने वाले अधिकारियों की परोक्ष रूप से भोपाल में ही बने रहने में मदद करना होता है यह स्थिति ठीक नहीं है। महत्वपूर्ण डाक अथवा जानकारी आज के दौर में वाट्स–अप / ई–मेल, फेक्स के माध्यम से भी तत्परता से भी मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित किये जा सकते है। जहॉ हार्ड कॉपी आवश्यक हो वहॉ किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

2– कृपया अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि डाक संप्रेषण के नाम पर अनावश्यक अधिकारी अपनी पदस्थापना स्थल से अन्य स्थल की ओर न जायें। यह शासन के लिये आर्थिक रूप से भी हानिकारक होता है।

3– सिर्फ उन्हीं मामलों में जहॉ किसी अधिकारी को किसी प्रकरण विशेष में चर्चा हेतु मुख्यालय आहुत किया जा रहा है, सिर्फ वहीं अधिकारी आयुक्त, लोकशिक्षण / संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय में उपस्थित होंगे।

3– निर्देशों की अवहेलना में न सिर्फ संबंधित अधिकारी वरन् नियंत्रणकर्ता अधिकारी के विरूद्व भी कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जायें।

(गौतम सिंह)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / पी.ए. / संचालक(प्रशा.) / 2018 / 92 भोपाल,दिनांक 11 / 12 / 2018

प्रतिलिपिः–

उपसंचालक, आवक–जावक कक्ष, स्थानीय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से डाक लेकर संचालनालय में उपस्थित होते है, तो ऐसे मामले को तत्काल संचालक, लोकशिक्षण के संज्ञान में लाया जायें।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश